



ई सी जी सी लिमिटेड
ECGC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

प्र.का/दे.बी.वि./ श्रीलंका /194/2022-23

दिनांक : 06-04-2022

महोदय / महोदया,

विषय – श्रीलंका पर ईसीजीसी की संशोधित देश हामीदारी पॉलिसी

दिनांक 07.04.2022 से श्रीलंका के देश जोखिम वर्गीकरण को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित हामीदारी पॉलिसी निम्नानुसार है:

देश	वर्तमान श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार	संशोधित श्रेणी एवं रक्षा का प्रकार
श्रीलंका	सी1, खुली रक्षा वर्ग	सी1, प्रतिबंधित कवर श्रेणी - I (आरसीसी- I)

2. जबकि श्रीलंका की वर्तमान देश जोखिम रेटिंग C1 के रूप में अपरिवर्तित बनी हुई है, कवर श्रेणी को खुली रक्षा से प्रतिबंधित कवर श्रेणी- I (RCC-I) में परिवर्तित कर दिया गया है। श्रीलंका में खरीदारों / एल सी खोलने वाले बैंकों पर कवर मामला-दर-मामला आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। हालांकि, बीमा कवर के अंतर्गत किए गए शिपमेंट के लिए प्रीमियम दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह समीक्षा ईसीजीसी की निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आने वाले जोखिमों का आकलन और निगरानी करने के लिए की गई है, जो इसे उचित जोखिम कम करने के उपायों को



ई सी जी सी लिमिटेड
ECGC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

लागू करने और श्रीलंका में खरीदारों से भुगतान प्राप्ति की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राहकों की सहायता करने में सक्षम बनाएगा।

4. ईसीजीसी श्रीलंका में घटनाक्रम की निगरानी करना जारी रखेगा और यथावश्यक समीक्षा करेगा।
5. आपसे अनुरोध है कि किसी भी सहायता के लिए ईसीजीसी की अपनी सर्विसिंग शाखा से संपर्क करें।

धन्यवाद

भवदीय,

(विवेक तिवारी)

सहायक महाप्रबंधक

देश बीमा एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग



(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

HO/CUD/ Sri Lanka /194/2022-23

Date: 06-04-2022

Dear Sir / Madam,

Subject – Revised ECGC underwriting policy on Sri Lanka

It has been decided to modify the country risk classification of Sri Lanka with effect from 07.04.2022. The revised underwriting policy is as under:

Country	Present Rating and Type of Cover	Revised Rating and Type of Cover
Sri Lanka	C1, Open Cover	C1, Restricted Cover Category - I (RCC - I)

2. While the present country rating of Sri Lanka remains unchanged as C1, its cover category has been changed from Open Cover to Restricted Cover Category – I (RCC-I). Covers on the buyers / LC opening banks in Sri Lanka will be approved on a case-to-case basis. However, it may be noted that the premium rates for the shipments insured under the insurance covers will remain unchanged.

3. This review has been carried out to assess and monitor the risks covered under ECGC's export credit insurance policies which will enable it to place appropriate risk mitigation measures in place and assist its customers in improving payment realization prospects from buyers in Sri Lanka.

4. ECGC will continue to monitor the developments in Sri Lanka and further review the cover, if necessary.



(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

5. You are requested to contact your servicing branch of ECGC for any assistance.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Vivek Tiwari)

Assistant General Manager

Country Underwriting & International Relations Department